तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व अहकाम व तामीलमें
29/5/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश। नाम अपील वाद - 2018 ग्राम पंचायत डिकोली कलां में पेश हुई। रेस्पोंडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत ने अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि अपीलार्थी नामान्तरण सं. 601 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.7.16 को भराया गया जिसकी तुलना भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.7.16 को की गई। रेस्पोंडेन्ट ने दिनांक 8/8/16 को तस्दीक किया गया तब तक माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश (अस्थाई निषेधाज्ञा) दिनांक 4/8/16 रेस्पोंडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत की जानकारी में नहीं था, ना ही रेस्पोंडेन्ट को कोई जानकारी दी गई। रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलार्थी नामान्तरण नहीं तस्दीक किया है, इसलिए अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील में अनावश्यक पक्षकार जैसे होकर कोई पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए भी अपील खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पोंडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट (जवाब) एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा का नामान्तरण नहीं तस्दीक किया गया, इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय सरे कैम्प कोर्ट सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Riy

Scanned by CamScanner